संख्या-3/2024/138/001-82-1001-099-6-2023-24

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के वेतन मद से कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय मद में पुनर्विनियोग कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-954/छ:-स्व0से0/2024-09 बजट(पुनर्विनियोग)/2023-24, दिनांक-14.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 12,08,000/- (**रुपये बारह लाख आठ हजार मात्र**) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन बी0एम0-09 (भाग-1) प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट व्यवस्था करा दी गई है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओ की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा ।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष: 2251- सचिवालय सामाजिक सेवायें-092- अन्य कार्यालय-03- उ.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित-01 वेतन मद में हो रही संभावित बचतों से लेखाशीर्ष : 2251- सचिवालय सामाजिक सेवायें-092- अन्य कार्यालय-03- उ.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित-46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय मद में नामे डाला जायेगा। अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष: 2251- सचिवालय सामाजिक सेवायें-092- अन्य कार्यालय-03- उ.प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित-01 वेतन मद में हो रही संभावित बचतों से पुनर्विनियोगकर वहन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,08,000 (रुपये बारह लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 028 **लेखा शीर्षक** 2251000920300 उ. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2024/138/001-82-1001-099-6-2023-24, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

~~1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4-प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, द्वितीय तल, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
5-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
6-संयुक्त सचिव, राजनैतिक पेंशन (लेखा) अनुभाग।
7-राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 ।
8-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

~~1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।